

प्रेषक,

निदेशक,  
होम्योपैथी, उ०प्र०/सदस्य सचिव,  
यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग बोर्ड-2025  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1- समस्त प्राचार्य, राजकीय आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) महाविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त प्राचार्य, निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) महाविद्यालय, उ०प्र०।

संख्या- 24/कैम्प कार्यालय/यू०पी०आ०यू०जी०का०-2025

लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2025

विषय- यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग-2025 में प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार द्वितीय चक्र में दिनांक 26.10.2025 से 30.10.2025 तक समयानुसार कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि शासनादेश संख्या-3380/96-आयुष-1-2025-ई०पत्रा०-1935148, दिनांक 26.08.2025 हेतु निर्गत यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग-2025 कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में बी०ए०एम०एस०, बी०यू०एम०एस० एवं बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग-2025 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश की तिथि दिनांक 26.10.2025 से 30.10.2025 तक निर्धारित है।

अतः उक्त से अवगत होते हुये दिनांक 26.10.2025 से दिनांक 30.10.2025 तक (अवकाश के दिनों में भी) प्रवेश हेतु एवं अभ्यर्थियों सम्बन्धी कार्यों हेतु हेतु निर्धारित समयानुसार कार्यालय खोलने का कष्ट करें ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कठिनाईयों/असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(प्र० प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक/सदस्य सचिव।

संख्या- 24 (i)/कैम्प कार्यालय/यू०पी०आ०यू०जी०का०-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महानिदेशक, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी सेवायें, उ०प्र०।
4. वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, तृतीय तल, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अभ्यर्थियों के सूचनार्थ हेतु काउंसिलिंग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।



(प्र० प्रमोद कुमार सिंह)  
निदेशक/सदस्य सचिव।